(61)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152] नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2010/ज्येष्ठ 17, 1932
No. 152] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2010/JYAISTHA 17, 1932

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2010

फा. सं. एल-7/143/158/2008-केंविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल विनियम'' कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2010 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **मूल विनियम के विनियम 3 का संशोधन.**—मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (3) के उप-खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(3) पूंजी पर्याप्तता या उधारपात्रता अपेक्षाएं

(क) आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित अंतर-राज्यिक व्यापार की मात्रा पर विचार करते हुए, आवेदक का शुद्ध धन (नेटवर्थ) उस वर्ष, जिसमें आवेदन किया गया है, के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों या ऐसी कम अवधि, जिसके दौरान आवेदन समामेलित, रजिस्ट्रीकृत या विरचित किया गया है, तथा आवेदन के साथ लगाए गए विशेष तुलनपत्र की तारीख को नीचे विनिर्दिष्ट रकम से कम नहीं होगा :

क्रम सं.	व्यापार अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग	वर्ष में व्यापार किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत की मात्रा	शुद्धधन (रुपए करोड में)
1.	प्रवर्ग-1	कोई सीमा नहीं	50.00
2.	प्रवर्ग-2	1500 मिलियन यूनिट से अधिक नहीं	15.00
3.	प्रवर्ग-3	500 मिलियन यूनिट से अधिक नहीं	5.00
4.	प्रवर्ग-4	100 मिलियन यूनिट से अधिक नहीं	1.00''

3. **मूल विनियम के विनियम 15 का संशोधन.**—मूल विनियम के विनियम 15 के खंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''15. **विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी**

(1) ऐसे विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, को निम्नानुसार पुन: प्रवर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् :—

यथासंशोधित केंविविआ व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2004 के अनुसार प्रवर्ग	विद्यमान प्रवर्ग	प्रस्तावित प्रवर्ग
च (यदि व्यापार 1500 एमयू से अधिक है)	1 (यदि व्यापार 1500 एमयू से अधिक है)	1
घ, ङ तथा च (यदि व्यापार 1500 एमयू तक है)	1 (यदि व्यापार 1500 एमयू तक है)	2
ख तथा ग	1	3
क	3	4''

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/2010-असा.]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, (असाधारण) संख्या 28, भाग III, खंड 4 में तारीख 24-2-2009 को प्रकाशित किए गए थे और निम्नानुसार संशोधित किए गए थे :

(i) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4 तारीख 2-6-2009 को प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2010, तथा

(ii) भारत के राजपत्र (असाधारण), संख्या 197, भाग III, खंड 4, तारीख 23-10-2009 को प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010 ।